रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D (D.N.) 127

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 422] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 14, 1987/श्रावण 23, 1909
No. 422] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 14, 1987/SRAVANA 23, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 14 अगस्त, 1987

अधिसूचना

सा. का. नि. 712(अ).—केन्द्रीय सरकार, वक्फ अधिनियम, 1954 (1954 का 29) की धारा 8 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय वक्फ परिषद् नियम, 1965 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (क) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय वक्फ परिषद् (संशोधन) नियम, 1987 है।

(ख) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2 केन्द्रीय वक्फ परिषद् नियम, 1965 के नियम 8 में उप नियम (3) के पश्चात् निम्नलिखित उप नियम अन्त: स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(4) उपनियम (1), (2), और (3) में किसी बात के होते हुए भी, परिषद् का कोई सदस्य, जो संसद् या राज्य विधान मंडल का सदस्य है, यथास्थिति, संसद (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1959 की धारा 2 के खंड (क) में यथापरिभाषित प्रतिकारात्मक भत्तों के सिवाय या अन्य भत्तों के सिवाय, यदि कोई हों, जो राज्य विधान मंडल का कोई सदस्य राज्य विधान मंडल की सदस्यता के लिए निरर्हता निवारण से संबंधित राज्य में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन ऐसी निरर्हता उद्गत किए बिना वसूल करे, किसी पारिश्रमिक का हकदार नहीं होगा।"

मूल नियम, भारत के राजपत्र, भाग-2, खंड-3, उपखंड (1) तारीख 10 अप्रैल, 1965 में पृष्ठ 595 से 598 पर सा. का. नि. 558, तारीख 30 मार्च, 1965 के रूप में प्रकाशित किए गए थे।

मूल नियमों में निम्नलिखित संशोधन किए गए हैं :—

(1) भारत के राजपत्र, भाग-2, खंड-3, उपखण्ड (2), तारीख 5 अगस्त, 1972 में पृष्ठ 3046-3047 पर प्रकाशित अधिसूचना संख्या का. आ. 2107, तारीख 25 जुलाई, 1972।

(2) भारत के राजपत्र, भाग-2, खण्ड 3, उपखण्ड (2), तारीख 7 सितम्बर, 1974 में पृष्ठ 2423 पर प्रकाशित अधिसूचना स. का. आ. 2269 तारीख 30 अगस्त, 1974।

(3) भारत के राजपत्र, भाग-2, खंड-3, उपखंड (2), तारीख 27 फरवरी, 1976 में पृष्ठ 469-470 पर प्रकाशित अधिसूचना सं. का. आ. 144(अ), तारीख 27 फरवरी, 1976।

(4) भारत के राजपत्र, भाग-2, खंड-3, उपखंड (1), तारीख 22 दिसम्बर, 1984 में पृष्ठ 3102 पर प्रकाशित अधिसूचना सं. सा. का. नि. 1264, तारीख 12 दिसम्बर, 1984।

(5) भारत के राजपत्र, भाग-2, खंड-3 उपखंड (1) तारीख 5 अक्तूबर, 1985 में पृष्ठ 2393-94 पर प्रकाशित अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 917 तारीख 27 सितम्बर, 1985

[एफ. सं. 8(11)/87-वक्फ]
एस. एम. वाई, नदीम, उप सचिव

## MINISTRY OF WELFARE

New Delhi, the 14th August, 1987

## NOTIFICATION

G.S.R. 712(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 8D of Wakf Act, 1954 (29 of 1954), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Wakf Council Rules, 1965, namely :—

1. (1) These rules may be called the Central Wakf Council (Amendment) Rules, 1987.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Wakf Council Rules, 1965, in rule 8, after sub-rule (3), the following sub-rule shall be inserted, namely :—

"(4) Notwithstanding anything contained in sub-rules (1), (2) and (3) a member of the Council, who is also a member of Parliament or of the Legislature of a State, shall not be entitled to any remuneration other than compensatory allowance as defined in clause (a) of section 2 of the Parliament (Prevention of Disqualification) Act, 1959 or, as the case may be, other than the allowances, if any, which a member of the Legislature of the State may, under any law for the time being in force in the State relating to the prevention of disqualification for membership of the State Legislature, receive without incurring such disqualification.".

The principal rules were published as G.S.R. 558 dated the 30th March, 1965 in the Gazette of India, Part II, Section 3, sub-section (i) dated the 10th April, 1965 at pages 595 to 598.

The following amendments have been made to the principal rules :—

(1) Notification No. S. O. 2107 dated the 25th July, 1972 published in the Gazette of India, Part II, Section 3, sub-section (ii) dated the 5th August, 1972 at pages 3046-3047.

(2) Notification No. S.O. 2269 dated the 30th August, 1974, published in the Gazette of India, Part II, Section 3, sub-section (ii) dated the 7th September, 1974 at page 2423.

(3) Notification No. S.O. 144(E) dated the 27th February, 1976, published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated the 27th February, 1976 at pages 469-470.

(4) Notification No. G.S.R. 264 dated the 12th December, 1984, published in the Gazette of India, Part II, section 3, sub-section (i) dated the 22nd December, 1984, at page 3102.

(5) Notification No. G.S.R. 917 dated the 27th September, 1985, published in the Gazette of India, Part II, Section 3, sub-section (i) dated 5th October, 1985 at pages 2393-2394.

[F. No. 8(11) 87-Wakf]
S. M. Y. NADEEM, Dy. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054. 1987